233

रजिस्ट्री सं° डी°एल°-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं° 18] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 1997/पौष 17, 1918
No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 1997/PAUSHA 17, 1918

राष्ट्रपति भवन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1997

का.आ. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (233वां संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

"(क) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग" उप शीर्षक के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"I संघ कारबार

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना।
2. विकास और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रचार के लिए केन्द्रीय स्कीमें और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी हैं।
3. अनुसंधान और विकास का समन्वय और संवर्धन जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए सहायता भी है।
4. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान और विकास, शिक्षा और मानकों से संबंधित केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
5. निम्नलिखित के संबंध में सभी मुद्दे और विषय, जिनकी बाबत सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है :

(i) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
(ii) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
(iii) भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद्;
(iv) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्;
(v) आयुर्वेदिक भेषज समिति;
(vi) होम्योपैथिक भेषज समिति;
(vii) यूनानी भेषज समिति;
(viii) सिद्ध भेषज समिति;
(ix) आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहाकार बोर्ड;
(x) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्;
(xi) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्;
(xii) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्;
(xiii) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्;
(xiv) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान;
(xv) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान;

(xvi) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान;

(xvii) राष्ट्रीय योग संस्थान;

(xviii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान;

(xix) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान;

(xx) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात, आयुर्वेद विश्वविद्यालय;

(xxi) इंडियन मेडिसन एण्ड फार्मास्यूटिकल कोर्पोरेशन लिमिटेड;

(xxii) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी पक्षों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है।

7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डॉक्टरों जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के केन्द्रीय अस्पतालों के डाक्टर भी हैं के संबंध में काडर संरचना और नियंत्रण के मामले जिसके अंतर्गत भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, भर्ती, प्रोन्नति और सभी अन्य सेवा मामले भी हैं जिनकी बाबत सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है। दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के पास ही रहेगा।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से सम्पर्क करना।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियों/संगमों और पूर्त तथा धार्मिक विन्यासों से संबंधित मामले।

10. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में औषध की क्वालिटी और मानकों से संबंधित ऐसे मामलों की बाबत उस सीमा तक जिनमें ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है।

11. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कार्य और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं से परामर्श तथा समन्वय करना।

12. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े।

13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव और मामले जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है।

14. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित प्रत्येक राज्य के विधायी प्रस्ताव जिनकी बाबत भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है।";

(ख) "विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. विज्ञान और प्रौद्यिगिकी विभाग" उप शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"18-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए उनको लागू करना।

19. अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 32)।

20. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1994 (1994 का 44)।"।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति

[फा/.सं. 1/22/1/96-मंत्रिमंडल]
एस.के. मिश्र, संयुक्त सचिव

RASHTRAPATI BHAVAN

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1997

S.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirty third Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the second Schedule,—

"(a) Under the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA PARIVAR AUR KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY (BHARTIYA CHIKITSA PADDHATI AUR HOMOEOPATHY VIBHAG)", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"I. UNION BUSINESS

1. Formulation of policy and policy issues for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

2. Development and implementation of programmes including Central Schemes and Centrally sponsored schemes for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

3. Co-ordination and promotion of research and development including assistance therefor in Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

4. Setting up and maintenance of Central institutions for research and development, education and standards relating to Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

5. All issues and matters requiring action at the level of Government in regard to :

(i) Pharmacopoeia Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad;

(ii) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad;

(iii) Central Council of Indian Medicines;

(iv) Central Council of Homoeopathy;

(v) Ayurvedic Pharmacopoeia Committee;

(vi) Homoeopathic Pharmacopoeia Committee;

(vii) Unani Pharmacopoeia Committee;

(viii) Siddha Pharmacopoeia Committee;

(ix) Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board;

(x) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha;

(xi) Central Council for Research in Homoeopathy;

(xii) Central Council for Research in Unani Medicine;

(xiii) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy;

(xiv) National Institute of Ayurveda;

(xv) National Institute of Homoeopathy;

(xvi) National Institute of Naturopathy;

(xvii) National Institute of Yoga;

(xviii) National Institute of Unani Medicine;

(xix) National Institute of Siddha;

(xx) Institute of Post-Graduate Teaching and Research, Gujarat Ayurveda University;

(xxi) Indian Medicines and Pharmaceutical Corpn. Ltd.;

(xxii) Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth.

6. Education, Training and Research in all aspects of Indian Systems of Medicine including higher training abroad.

7. Matters of cadre formation and control including formation and amendment of recruitment rules, recruitment, promotion and all other service matters relating to ISM&H doctors of Central Govt. Health Scheme including doctors in ISM&H central hospitals requiring action at Government level. Day-to-day administration and management will continue to be with the Director, Central Government Health Scheme.

8. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

9. Matters relating to scientific societies/associations and charitable and religious endowments relating to Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

10. Matters relating to quality and standards for drugs in Indian Systems of Medicine & Homoeopathy to the extent such matters require action at the level of Government.

11. Consultation and coordination with State Governments, Non-Government Organisations and institutions for review of work and programmes in Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

12. Statistics relating to various aspects of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

13. Proposals and matters concerning Union Territories requiring sanction and concurrence of Government of India in regard to Indian Systems of Medicine & Homoeopathy.

14. Legislative proposals pertaining to Indian Systems of Medicine & Homoeopathy of individual states requiring sanction and concurrence of Government of India.";

(b) Under the heading "MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)", for entry 18, the following entries shall be substituted, namely :—

"18. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development and security of the nation.

19. Research and Development Cess Act, 1986 (32 of 1986).

20. Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995).".

SHANKAR DAYAL SHARMA

PRESIDENT

[File No. 1/22/1/96-Cab.]

S.K. MISRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997